(Press Release- Invest UP (Infrastructure & Industrial Dev. Dept., U.P.)

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख समिति की बैठक सम्पन्न प्राधिकृत समिति ने लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने हेतु पाँच आवेदनों को संस्तुति प्रदान की

19 नवम्बर, 2025 | लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के लिए 18 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) को प्राधिकृत समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्राधिकृत समिति की 13वीं बैठक में ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम (OIMS) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पाँच परियोजना-आवेदनों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत इन आवेदनों में लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था।

यह आवेदन राज्य के विभिन्न जनपदों कानपुर नगर, हाथरस, अमेठी, बहराइच और प्रयागराज में प्रस्तावित है, जो वृहद् श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित थे, जिनमें कुल प्रस्तावित निवेश ₹590.30 करोड़ है। इन निवेश प्रस्तावों में पॉल्ट्री फ़ीड, डिटर्जेंट, टीएमटी बार तथा इथनॉल उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

निवेशकों द्वारा जिन प्रोत्साहनों के लिए आवेदन किया गया है, उनमें एसजीएसटी सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी तथा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सम्मिलित हैं। समिति ने प्रत्येक प्रस्ताव की समीक्षा राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन की व्यापक दृष्टि के अनुरूप की। समिति द्वारा नीति के अंतर्गत एलओसी जारी करने हेतु सभी पाँच आवेदनों को संस्तुति प्रदान की गई है।

विदित हो कि लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलोसी) का तात्पर्य राज्य सरकार की संप्रभु प्रतिबद्धता कि किसी विशेष योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं अन्य स्वीकृत प्राविधानों की पूर्ति पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाने से है।

बैठक में राज्य सरकार की एक पारदर्शी, सुगम एवं उद्योग-हितैषी वातावरण स्थापना करने की प्रतिबद्धता पुनः रेखांकित हुई। संरचित नीति समर्थन, डिजिटल प्रक्रियाओं और लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश विविध क्षेत्रों में निवेश का अग्रणी केंद्र बनकर उभर रहा है।

इन्वेस्ट यूपी ने राज्य में औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन एवं अवस्थापना विकास को गति प्रदान करने के लिए निवेशकों की आवश्यकताओं को सुगमता से पूरा करने तथा प्रोत्साहन आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी।